न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर.ए.एस.)

रामूराम व अन्य

बनाम

पनाराम इत्यादि

उपस्थित

1. श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री बाबुलाल विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पों. संख्या एक से चार
3. श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या पांच

आदेश

दिनांक 21 अप्रैल 2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 101/2024 अनवान पनाराम व अन्य बनाम रामूराम इत्यादि में पारित आदेश दिनाक 29 अगस्त 2024 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 05 दिसंबर 2024 को प्रस्तुत की गई।

अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स ने बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी का अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स के मध्य सहायक जिलाधीश जोधपुर के समक्ष सन् 1983 में बंटवाड़ा हुआ तथा उक्त बंटवाड़ा में अपीलांट्स को खसरा नंबर 2119 रकबा 12.08 बीघा, खसरा नंबर 2056 रकबा 07.17 बीघा, खसरा नंबर 29 रकबा 06.13 बीघा, खसरा नंबर 2088 रकबा 10.15 बीघा, खसरा नंबर 28 रकबा 16.04 बीघा, खसरा नंबर 1180 रकबा 10.17 बीघा, खसरा नंबर 14 रकबा 03.17 बीघा, खसरा नंबर 1000 रकबा 05.16 बीघा की खातेदारी जरिये नामांतरकरण संख्या 458 के तहत अपीलांट्स को प्राप्त हुई तथा जमाबंदी संवतः 2035 से 2038 में खातेदारी का इन्द्राज की गई है। तत्पश्चात इससे आगे जमाबंदी में

	सहवन से उक्त भूमि को अपीलांट की खातेदारी में दर्ज नहीं किया गया। केवल जमाबंदी में इन्द्राज नहीं होने से अपीलांट की खातेदारी खत्म नहीं होगी। अपीलांट्स किसान है तथा रेस्पोडेंट्स सरकारी ओहदे पर काबिज व्यक्ति है। इस कारण प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में है। अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष काउंटर क्लेम भी प्रस्तुत किया जा चुका है। अपीलांट्स की ओर से संपूर्ण खसरों के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई किंतु विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये केवल एक खसरा के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है तथा स्पीकिंग आदेश पारित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट हाल ही में अपने खेत में तारबंदी का कार्य कर रहे थे तो रेस्पोडेंट्स भू-माफियाओं को लेकर खेत पर आये तथा भूमि के बेचान/हस्तांतरण की बात कही गई, जिस पर अपीलांट्स यह बात सुनकर बड़े आश्चर्य चकित हुए। तब अपीलांट दिनांक 03.12.2024 को अपने अधिवक्ता के पास पीपाड़ शहर गये तथा रेस्पोडेंट्स द्वारा भूमि के बेचान/हस्तांतरण की बात अधिवक्ता को बताई, तब अपीलांट को अधिवक्ता ने बताया कि फाईल में आदेश हो चुका है। तब अीपलांट उसी दिन दिनांक 03.12.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु आवेदन किया तथा दिनांक 04.12.2025 को नकल प्राप्त होने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील जानकारी से अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 29 अगस्त 2024 को अपास्त फरमाया जावे एवं रेस्पोडेंट्स का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे एवं अपीलाधीन आराजी के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति का आदेश फरमावे। जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स अपीलाधीन वादग्रस्त आराजीयात के रेकर्डेड खातेदार	

	काश्तकार है तथा मौके पर काबिज काश्त है। सेटलमेंट विभाजन द्वारा खसरा नंबर 1013 रकबा 5.07 बीघा, खसरा नंबर 1244 रकबा 10.07 बीघा, खसरा नंबर 1279 रकबा 1.12 बीघा का पर्चा लगान रेस्पोडेंट के पिता मुल्तानाराम वल्द जगराम के नाम से तथा खसरा नंबर 1000 रकबा 5.16 बीघा, खसरा नंबर 1010 रकबा 3.17 बीघा का पर्चा लगान रेस्पोडेंट के पिता मुल्ताना वल्द जगराम, उगराराम वल्द थाना के नाम जारी किया गया था। वादग्रस्त आराजीयात मय अन्य खसरा नंबर 2090, 2056, 1430, 2057, 2088, 2119, 2126, 1225, 1227, 28, 27, 26, 30, 26, 1179, 1180, 14, 16, 18, 15, 17 की भूमियॉ सेटलमेंट से पूर्व ही रेस्पोडेंट्स के पिता मुल्तानाराम पिता जगाराम एवं उगराराम पिता थानाराम द्वारा संयुक्त रूप से विक्रेता जयरूप वल्द घमण्डाराम से राशि रूपये 6000 में खरीदसुदा भूमि है जो नामांतरकरण संख्या 152 दिनांक 23 जनवरी 1956 के जरिये रेस्पोडेंट्स के पिता मुल्तानाराम एवं उगराराम की सहखातेदारी में दर्ज की गई जो खेवट खतौनी संवतः 2023-2026 ग्राम रतकुड़िया से स्पष्ट है। उक्त आराजी वक्त सेटलमेंट से पूर्व ही रेस्पोडेंट्स के पिता मुल्तानाराम एवं खातेदार उगराराम के नाम रहिन दर्ज की गई जो सेटलमेंट विभाग द्वारा जारी पर्चा लगान से स्पष्ट है। रेस्पोडेंट के पिता मुल्तानाराम एवं खातेदार उगराराम द्वारा अपनी खरीदसुदा आराजी एवं खसरा नंबर 1000 रकबा 5.16 बीघा, खसरा नंबर 1010 रकबा 3.17 बीघा भूमि सहित कुल खसरा 23 कुल रकबा 318 बीघा 13 बिस्वा का सन् 1971 में आपसी सहमति से बंटवाड़ा किया गया जो नामांतरकरण संख्या 228 दिनांक 10.12.1971 के जरिये वादग्रस्त आराजी का नवीन खाता संख्या 317 दर्ज किया जाकर कुल रकबा 147.14 बीघा रेस्पोडेंट्स के पिता मुल्तानाराम के नाम दर्ज की गई तथा नामांतरकरण संख्या 229 दिनांक 10.12.1971 के जरिये कुल रकबा 153.14 बीघा खातेदार उगराराम के नाम दर्ज की गई। रेस्पोडेंट्स के पिता मुल्तानाराम की फौतेदगी पर उक्त आराजी नामांतरकरण संख्या 419 दिनांक 16 जनवरी 1983 के जरिये उनके जायंदा पुत्रों/रेस्पोडेंट्स पनाराम, श्रीराम, मानाराम एवं रामजीवण के नाम दर्ज की गई। तत्पश्चात स्व. मुल्तानाराम के वारिसान्/रेस्पोडेंट्स द्वारा वादग्रस्त आराजी का विभाजन कर लिया गया, जिसकी पालना में नामांतरकरण संख्या 420 से 423 दिनांक 16 जनवरी 1983 स्वीकृत किये जाकर वादग्रस्त आराजी के खाते अलग किये गये। खसरा नंबर 1080, 1153, 1240, 1241, 1259, 1280, 1476, 2134 कुल रकबा 42.08 बीघा की भूमिया अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स	

	की पुश्तैनी भूमि सामलाती की भूमि रही है, जिसके के संबंध में रेस्पोडेंट्स/वादीगण द्वारा सन् 2010 में राजस्व वाद संख्या 102/2012(53/2010) अनवान पनाराम व अन्य बनाम रामूराम इत्यादि अन्तर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर उक्त आराजीयात का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27 मई 2013 के जरिये विभाजन करवाया गया था। उक्त वाद में अपीलांट्स अधिवक्ता श्री रामकिशोर सांखला के जरिये वाद में उपस्थित हुए तथा अपनी पैरवी की। उक्त वाद में तलब विभाजन प्रस्ताव पर भी अपीलांट्स के हस्ताक्षर मौजूद है, जिससे साबित है कि उक्त वाद की अपीलांट्स को शुरूआत से ही जानकारी रही है तथा पूर्व में सन् 1983 में अपीलांट्स की ओर से निष्पादित बंटवाड़ा फर्जी है। अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री को किसी सक्षम न्यायालय में आज दिनांक तक चुनौती नहीं दी गई है। रेस्पोडेंट्स की ओर से प्रशासन गांवों के संग अभियान सन् 2022 में खसरा नंबर 100, 1013, 1180, 1225, 1244, 1279, 14, 1430/1, 16, 2056, 2088/1, 2119, 27, 28/1, 29 कुल रकबा 26.6688 हैक्टेयर का विभाजन करवाया जाकर अपने खाते अलग-अलग करवाये गये, जिसकी पालना में नामांतरकरण संख्या 2273 दिनांक 04.04.2021 स्वीकृत किया जाकर रेस्पोडेंट्स के खाते अलग किये गये। तत्पश्चात रेस्पोडेंट्स द्वारा वादग्रस्त आराजीयात पर रहन स्वीकृति एवं रहन मुक्ति के भी नामांतरकरण स्वीकृत करवाये गये, जिस पर अपीलांट्स की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई। इन सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट्स की खातेदारी की भूमि है। उक्त आराजी से अपीलांट्स का कोई लेना-देना नहीं है। वक्त सेटलमेंट अपीलांट्स के पिता के नाम दर्ज भूमि पर अपीलांट्स काबिज काश्त है तथा अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स की सामलाती भूमियों का विभाजन होकर वर्तमान में खाते अलग दर्ज होकर उभय पक्ष अपने-अपने खाते की भूमियों पर काबिज काश्त है। अपीलांट्स की ओर से रेस्पोडेंट्स की खातेदारी भूमि में दखलंदाजी किये जाने पर रेस्पोडेंट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर अपीलांट्स को रेस्पोडेंट्स के कब्जे काश्त में दखलदांजी नहीं किये जाने हेतु पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट्स के निवेदन पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स की ओर से आज दिनांक तक विचारण न्यायालय के समक्ष काउंटर क्लेम प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा न ही काउंटर	

	टी.आई प्रस्तुत की गई है। बिना कांउटर क्लेम के अपीलांट्स द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में पारित आदेश के विरूद्ध हस्तगत अपील पोषणीय नहीं है। वकील रेस्पो. ने दौरान बहस कथन किया कि अपीलांट्स का कथन है कि तथाकथित बंटवाड़ा आदेश दिनांक 22.01.1983 के जरिये वादग्रस्त आराजी का बंटवाड़ा हो चुका है। उक्त बंटवाड़ा के अवलोकन से ही उक्त बंटवाड़ा फर्जी प्रतीत होता है। स्व. मुल्तानाराम के चार पुत्र है, यथा- श्रीराम, मानाराम, रामजीवन व पनाराम। उक्त बंटवाड़ा में खातेदार पनाराम का नाम ही गायब है, जबकि पनाराम वादग्रस्त आराजीयात का रेकर्डेड खातेदार है। उक्त बंटवाड़ा पर पक्षकारान् के मौजूद हस्ताक्षर एवं वकालतनामों पर मौजूद हस्ताक्षर भी मेल नहीं खा रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा आज दिनांक तक उक्त बंटवाड़े अनुसार वादग्रस्त आराजी को अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने हेतु कोई चाराजोही नहीं की है तथा न ही अपीलांट्स द्वारा राजस्व वाद संख्या 102/2012 में उक्त बंटवाड़े को पेश किया गया है, जिससे साबित है कि उक्त बंटवाड़ा फर्जी है। अपीलांट्स का कथन है कि उक्त बंटवाड़ा की पालना में अपीलांट्स का नाम जमाबंदी संवतः 2035-2038 में आया है। जमाबंदी संवतः 2035-2038 से अवलोकन मात्र से ही प्रतीत होता है कि उक्त बंटवाड़े अनुसार सभी खसरों का अंकन अपीलांट्स के खाते में दर्ज नहीं किया गया है, जिससे भी रेस्पोडेंट्स के उक्त कथन की पुष्टि होती है कि तथाकथित बंटवाड़ा फर्जी है। यह उल्लेखनीय है कि बंटवाड़ा केवल रेकर्डेड खातेदारों के मध्य किया जाता है। अपीलांट्स द्वारा उक्त बंटवाड़ा के जरिये बिना घोषणा के अनुतोष के रेस्पोडेंट्स की स्वअर्जित खरीदसुदा भूमि को अपने खाते में दर्ज करवा दिया गया जो कानूनन संभव नहीं है। उक्त बंटवाड़ा विधिनुसार नहीं होने से बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं हो पाया। अपीलांट्स द्वारा उक्त बंटवाड़ा रेस्पोडेंट्स से बाले-बाले निष्पादित करवाया गया, जिसकी पूर्व में रेस्पोडेंट्स को उक्त बंटवाड़े की जानकारी नहीं थी। रेस्पोडेंट्स को उक्त फर्जी बंटवाड़े जानकारी होते ही उनके द्वारा नवीन दावा प्रस्तुत कर उक्त बंटवाड़े को चुनौती दी जा चुकी है। वकील रेस्पोडेंट्स ने अपनी बहस जारी रखते हुए निवेदन किया कि स्व. मुल्तानाराम के पुत्रों का वादग्रस्त आराजी का विधिनुसार विभाजन करवाकर वर्तमान में सभी रेस्पोडेंट्स के खाते अलग-अलग	

	किये गये है। केवल खाता संख्या नया 318, 981 पुराना खाता संख्या 240,317 की भूमियॉ रेस्पोडेंट्स की स्वयं की ही भूमिया सामलाती है। अपीलांट्स को रेस्पोडेंट्स की खातेदारी भूमि में दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उभय पक्ष की उपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी शुरूआत से ही रहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाधित एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे एवं अपीलांट्स को पाबंद फरमाया जावे कि वे रेस्पोडेंट्स की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी पैदा नहीं करे। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियो के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के अधिवक्तागण की उपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी शुरूआत से ही होना स्वाभविक है। फिर भी न्याय हित में मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाती है। गुणावगुण पर पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख अघतन जमाबंदी संवतः 2076-2079 ग्राम रतकुड़िया तहसील पीपाड़ शहर के मुताबिक रेस्पोडेंट्स् ग्राम रतकुड़िया के खाता संख्या नवीन 981, 317, 982, 983, 984, पुराना खाता संख्या 317, 245, 317, 317 में दर्ज भूमियों के खातेदार काश्तकार दर्ज है। उक्त भूमियॉ रेस्पोडेंट्स की स्वतंत्र खातेदारी की राजस्व नक्शे में स्वतंत्र सीमाओं से आबद्ध होकर पृथक-पृथक तरमीम है। अपीलांट्स की ओर से रेस्पोडेंट्स की उक्त खातेदारी भूमियों में दखलंदाजी किये जाने पर रेस्पोडेंट्स द्वारा	

विचारण न्यायालय के समक्ष स्थाई निषेधाज्ञा का वाद मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट्स के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। विचारण न्यायालय द्वारा केवल एक खसरे के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई, जो सद्भाविक नहीं है। कानूनन एक रेकर्डेड खातेदार को दूसरे खातेदार की खातेदारी भूमि में दखलंदाजी किये जाने का अधिकार नहीं है। विचारण न्यायालय में स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के विचाराधीन रहते अपीलांट्स को रेस्पोडेंट्स के कब्जे काश्त में दखलंदाजी किये जाने से रोका जाना न्याय हित में उचित है।

हस्तगत मामले में अपीलांट्स का मुख्य कथन यह है कि वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में पूर्व में सन् 1983 में राजस्व वाद के जरिये पक्षकारान् में वादग्रस्त आराजीयात का बंटवाड़ा किया जा चुका है तथा उक्त बंटवाड़े में खसरा नंबर 2119, 2056, 29, 2088, 28, 1180, 14, 1000 की भूमियॉ अपीलांट्स के हिस्से में रखी गई। इस संबंध में अघतन राजस्व अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अपीलांट्स द्वारा बताये गये पूर्व बंटवाड़े अनुसार संधारित नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध पर्चा लगान एवं खैवट खतौनी संवतः 2023 से 2026 ग्राम रतकूड़िया के मुताबिक नामांतरकरण संख्या 228 दिनांक 10.12.1971 में दर्ज भूमियॉ रेस्पोडेंट्स के पिता मुल्तानाराम की खातेदारी की भूमियॉ रही है जो पर्चा लगान से उनकी खरीदसुदा एवं स्वअर्जित भूमियॉ पायी जाती है। स्व. मुल्तानाराम की फौतेदगी पर उक्त भूमियॉ नामांतरकरण संख्या 419 दिनांक 16 जनवरी 1983 के जरिये रेस्पोडेंट्स के नाम दर्ज हुई है तथा रेस्पोडेंट्स द्वारा नामांतरकरण संख्या 420 से 423 के जरिये वादग्रस्त आराजी का विभाजन किया जाना पाया जाता है। बंटवाड़ा दिनांक 22 जनवरी 1983 एवं जमाबंदी संवतः 2035 से 2038 ग्राम रतकूड़िया के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त बंटवाड़ा में जो भूमियॉ अपीलांट्स रामूराम वगैरह के नाम दर्ज नहीं थी, उनका भी बंटवाड़ा किया जाकर उक्त भूमियॉ अपीलांट्स की खातेदारी में रखी गई है। कानूनन विभाजन सहखातेदारों के मध्य किया जाता है न कि एक खातेदार से दूसरे खातेदार के मध्य। यह उल्लेखनीय है कि उक्त बंटवाड़ा अनुसार पश्चावर्ती जमाबंदीयों में अपीलांट्स के नाम का अंकन नहीं पाया जाता है तथा न ही अपीलांट्स द्वारा अपना नाम इन्द्राज करवाने हेतु इस संबंध में आज दिनांक तक

	चाराजोही किये जाने के तथ्य अदालत हाजा के समक्ष पेश किये गये है। पत्रावली पर उपलब्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व राजस्व मूल वाद संख्या 102/2012(53) अनवान पन्नाराम व अन्य बनाम रामुराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 मई 2013 एवं विभाजन प्रस्ताव दिनांक 24 मई 2013 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 27 मई 2013 के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पोडेंट्स द्वारा सामलाती वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 1080, 1153, 1240, 1241, 1259, 1280, 1476, 2137 की भूमियों का राजस्व वाद संख्या 102/2012 के जरिये विभाजन करवाया गया है। उक्त वाद की कार्यवाही में अपीलांट्स की जरिये अधिवक्ता उपस्थिति है तथा विभाजन प्रस्ताव पर भी अपीलांट रामुराम एवं भानाराम के हस्ताक्षर है। अपीलांट्स की ओर से उक्त वाद में पूर्व विभाजन के बारे में कोई तथ्य नहीं उठाये गये है। पत्रावली पर उलपब्ध नामांतरकण संख्या 2273 दिनांक 19.04.2022 से भी प्रकट होता है कि रेस्पोडेंट्स द्वारा अपनी खातेदारीसुदा भूमियों का विभाजन करवाया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में पूर्व विभाजन दिनांक 22 जनवरी 1983 पर संदेह उत्पन्न होता है। फिर भी पूर्व विभाजन के तथ्य एवं उसकी वैधता का निस्तारण विचारण न्यायालय में विचाराधीन मूल वाद में जरिये साक्ष्य तय होना है। अपीलांट्स का कथन है कि उनके द्वारा विचारण न्यायालय में उक्त बंटवाड़ा अनुसार कांउटर क्लेम प्रस्तुत किया जा चुका है, किंतु अपीलांट पक्ष की ओर से अपने कथनों के समर्थन में काउंटर क्लेम की प्रति प्रस्तुत नही की गई है। ऐसी स्थिति में अदालत हाजा की राय में इतनी लंबी अवधि बाद बंटवाड़ा दिनांक 22 जनवरी 1983 के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात के वर्तमान रेकर्डेड खातेदारान् के विरूद्ध अपीलांट्सं बिना काउंटर क्लेम के अपील स्तर पर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है तथा न ही उन्हें रेस्पोडेंट्स की खातेदारी भूमि में दखलंदाजी का अधिकार है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं ठहरती है।	

	वस्तुतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से तदनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है। साथ ही अपीलांट्स को पाबंद किया जाता है कि वे रेस्पोडेंट्स की खातेदारी भूमि में न तो स्वयं दखलंदाजी पैदा नहीं करे तथा न ही किसी अन्य से करावे। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(ओमप्रकाश विश्नोई)** **राजस्व अपील प्राधिकारी** **जोधपुर**	